

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,****CENTRAL ZONE, BHOPAL****Original Application No. 54/2025****SOBRAN YADAV**-----**APPLICANT****VERSUS****STATE OF MADHYA PRADESH & ORS. -----RESPONDENT(S)****INDEX**

<b>SNO</b>	<b>PARTICULARS</b>	<b>ANNEXURE</b>	<b>PAGE NO</b>
1.	Action Taken Report on behalf of State of Madhya Pradesh		2-10
2.	Affidavit		11
3.	A copy of letter dated 10.01.2025 to the Tahsildar alongwith notices to the encroachers	<b>R – 1 (Colly.)</b>	12-40
4.	A copy of the geo-tagged photos of removed encroachments	<b>R – 2</b>	41-43
5.	A copy of letter dated 08.01.2024	<b>R – 3</b>	44
6.	A copy of the NOC/permission by WRD	<b>R – 4</b>	45
7.	A copy of letter dated 06.12.2024 and 10.02.2025	<b>R – 5 (Colly.)</b>	46-47
8.	A copy of the letter no. 1689/निर्माण शाखा/न.पा./2025 dated 24.03.2025	<b>R – 6</b>	48
9.	A copy of the report dated 08.07.2025 was issued by the Executive Engineer, WRD, Tikamgarh	<b>R – 7</b>	49
10.	A copy of the letter no. 54/RM/2025 dated 30.06.2025 was issued by the Collector, Tikamgarh	<b>R – 8</b>	50
11.	A copy of the letter of EE, WRD, Tikamgarh alongwith the inspection report	<b>R – 9</b>	51-52

12.	A copy of the letter no. 1106/कार्य/2025 dated 08.08.2025 was issued by the EE, WRD, Tikamgarh	<b>R – 10</b>	53
13.	A copy of the order dated 19.08.2025	<b>R – 11</b>	54
14.	A copy of the letter no. 1242/न्या.प्र./2025 dated 04.09.2025	<b>R – 12</b>	55
15.	A copy of the letter dated 16.09.2025	<b>R – 13</b>	56
16.	Vakalatnama		57

**Date: 21.09.2025**

**Place: Bhopal**



**Through Counsel  
Prashant M. Harne  
Standing Counsel  
State of Madhya Pradesh**

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, CENTRAL ZONE  
BENCH, BHOPAL**

**Original Application No. 54/2025**

**SOBRAN YADAV**

-----APPLICANT

**VERSUS**

**STATE OF MADHYA PRADESH & ORS. -----RESPONDENT(S)**

**ACTION TAKEN REPORT ON BEHALF OF STATE OF  
MADHYA PRADESH**

IT IS MOST RESPECTFULLY SUBMITTED HEREINUNDER: -

1. That, the issue raised in this instant application is protection of water body namely Mahendra Sagar Talab admeasuring approximately 102.738 hectares in the district of Tikamgarh, which is also one of the major sources of potable water for the residents of the city of Tikamgarh.
2. It is humbly submitted that, there are a total number of 6 Talab/Sagar in the District of Tikamgarh, namely – Mahendra Sagar, Brandavan Talab (Jheer ki Bagiya), Gwal Sagar, Hanuman Sagar, Maharaj Sagar and Shell Sagar. It is further submitted that, 3 Talab/Sagar, namely - Gwal Sagar, Hanuman Sagar and Mahendra Sagar are under the

authority of Water Resources Department (hereinafter referred as WRD), Brandavan Talab and Shell Sagar are under the authority of the Municipal Council, Tikamgarh and the Maharaj Sagar is under the authority of Janpad Panchayat, Tikamgarh.

3. It is most humbly submitted that, abovementioned six Talab/Sagar are of intermittent nature, and they are bodies of water that appear periodically, typically in rainy seasons. It is further submitted that, when in seasons other than rainy season the water level is depleted, the residents of the district use the water body for agricultural activities. This is the reason that the land surrounding the water bodies appear to be encroached.
4. That, the WRD has issued notices to 29 individuals found to be in occupation of the wetland (submerged) area of Mahendra Sagar and has further communicated with the Tahsildar, Tikamgarh, directing initiation of proceedings for the removal of such encroachments. A copy of letter dated 10.01.2025 to the Tahsildar alongwith notices to the encroachers is marked and annexed herewith as **Annexure R – 1 (Colly.)**.
5. It is most humbly submitted that, all the abovementioned

encroachments around the Mahendra Sagar Lake have been removed automatically due to filling of the Mahendra Sagar Lake resultant to abundant rainfall this year. A copy of the geo-tagged photos of removed encroachments is marked and annexed herewith as **Annexure R – 2.**

6. That, the Municipal Council, Tikamgarh applied for a No Objection Certificate/permission from the WRD, vide letter no. 57/लो.नि./न.पा./2024 dated 08.01.2024, for undertaking beautification, tree plantation, pitching, and construction of a walking street within 20 meters from the control line of the bypass road adjoining Mahendra Sagar Lake, subject to departmental conditions, for the purpose of developing a park and executing beautification works under the AMRUT 2.0 Scheme. A copy of letter dated 08.01.2024 is marked and annexed herewith as **Annexure R – 3.**

7. It is submitted that, the Municipal Council, Tikamgarh has secured a No Objection Certificate/permission from the WRD, vide letter dated 04.03.2024, for abovementioned activities. A copy of the NOC/permission by WRD is marked and annexed herewith as **Annexure R – 4.**

8. It is further submitted that, subsequent to the grant of permission, for

the beautification and construction of walking street within 20 meters, the Municipal Council initiated the construction activities, whereupon departmental objections were raised. The Water Resources Department (WRD), vide its letters dated 06.12.2024 and 10.02.2025, directed the immediate cessation of the said construction, clarifying that continuation thereof would be treated as unauthorized and action would be initiated as per given rules. Intimation of the same was also conveyed to the District Collector, Tikamgarh. A copy of letter dated 06.12.2024 and 10.02.2025 is marked and annexed herewith as **Annexure R – 5 (Colly.)**.

9. That, a letter no. 1689/निर्माण शाखा/न.पा./2025 dated 24.03.2025 was also issued by the CMO, Municipal Council, Tikamgarh to the Collector, Tikamgarh in order to remove the stay imposed by the WRD. A copy of the letter no. 1689/निर्माण शाखा/न.पा./2025 dated 24.03.2025 is marked and annexed herewith as **Annexure R – 6**.

10. It is submitted that, a report dated 08.07.2025 was issued by the Executive Engineer, WRD, Tikamgarh that if in future the safety of the Sagar/Lake or its storage capacity is affected, then it is proposed to consider the work done by the Municipal Council as unauthorized and

action to be taken as per the rules. A copy of the report dated 08.07.2025 was issued by the Executive Engineer, WRD, Tikamgarh is marked and annexed herewith as **Annexure R – 7**.

11. It is most humbly submitted that, a letter no. 54/RM/2025 dated 30.06.2025 was issued by the Collector, Tikamgarh to the Executive Engineer, WRD, Tikamgarh in order to ensure that the Sagar/Lakes in the entire District drain out water in case of excessive water, so that the Sagar/Lakes are not harmed and the safety of the residents is also ensured. A copy of the letter no. 54/RM/2025 dated 30.06.2025 was issued by the Collector, Tikamgarh is marked and annexed herewith as **Annexure R – 8**.

12. That, in compliance of the said letter issued by the Collector, Tikamgarh, an inspection report has been submitted by the Sub-Divisional Officer, WRD, Tikamgarh. A copy of the letter of EE, WRD, Tikamgarh alongwith the inspection report is marked and annexed herewith as **Annexure R – 9**.

13. It is submitted that, a letter no. 1106/कार्य/2025 dated 08.08.2025 was issued by the EE, WRD, Tikamgarh to the CMO, Municipal Council, Tikamgarh in order to ensure that the cleanliness of these water

sources, it is requested that arrangements be made to separate the city's contaminated water from these sources, so that the water in the Sagar/Lakes remain clean. A copy of the letter no. 1106/कार्य/2025 dated 08.08.2025 was issued by the EE, WRD, Tikamgarh is marked and annexed herewith as **Annexure R – 10.**

14. It is most humbly submitted that, in compliance of order dated 11.08.2025 of this Hon'ble Tribunal, a committee consisting of Sub-Divisional Officer (Revenue), a representative by the Wetland authority, Executive Engineer, WRD, Tikamgarh and Regional Officer, MPPCB was constituted by the Collector, Tikamgarh vide its order dated 19.08.2025 to identify, demarcate and protect the water bodies by means of wire and pillars/munnars with no construction zone/buffer zone from the wetland boundary. A copy of the order dated 19.08.2025 is marked and annexed herewith as **Annexure R – 11.**

15. It is further submitted that, the EE, WRD, Tikamgarh vide its letter no. 1242/न्या.प्र./2025 dated 04.09.2025 issued directions to the Sub-Divisional Officer, WRD, Tikamgarh to demarcate the Lakes. A copy of the letter no. 1242/न्या.प्र./2025 dated 04.09.2025 is marked and annexed

herewith as **Annexure R – 12**.

16. It is pertinent to mention here that, the report of the committee constituted by the Collector, Tikamgarh vide order dated 19.08.2025 and the demarcation report directed by the EE, WRD, Tikamgarh are still awaited as due to the ongoing monsoon season. It is further mentioned that the demarcation and encroachment which will be identified in the abovementioned report by the committee shall be removed after the monsoon season.

17. That, the EE, WRD, Tikamgarh again vide its letter dated 16.09.2025 has requested the CMO, Municipal Council, Tikamgarh to prepare a proposal/action plan to prevent the city's sewage from entering the water bodies. It is pertinent to mention here that the action plan to prevent the untreated water from entering the water bodies is under the AMRUT 2.0 scheme. A copy of the letter dated 16.09.2025 is marked and annexed herewith as **Annexure R – 13**.

18. That, the Respondent is not filing the para – wise reply and reserves the right to file para – wise reply, if so directed by this Hon'ble Tribunal.

19. That, an Affidavit in support of the Reply is filed herewith.

20. The Hon'ble Tribunal may kindly be pleased to take the present reply on record.

**Date: 21.09.2025**

**Place: Bhopal**



**Through Counsel  
Prashant M. Harne  
Standing Counsel  
State of Madhya Pradesh**

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL****CENTRAL ZONAL BENCH BHOPAL**

Original Application No. 54/2025

IN THE MATTER OF:

SOBRAN YADAV

----- APPLICANT

VERSUS

STATE OF MADHYA PRADESH &amp; ORS. -----RESPONDENT(S)

**AFFIDAVIT**


Deependra Singh Kushwah S/o Shri Gajendra Singh about 37 years, posted as Executive Engineer, Water Resource Department Tikamgarh, office at - Irrigation Colony, Banpur Road, Tikamgarh (M.P.) do hereby state on oath and solemnly affirm as under :

1. That, I have been appointed as the Officer In-Charge to represent this case on behalf of Engineer-in-Chief, Water Resource Department and as such I am well conversant with the facts of the case and therefore, competent to swear this affidavit.
2. That, the accompanying Reply / Report has been prepared and filed as per my instructions and has also been explained to me.
3. That, the contents of the accompanying Reply/Report are true to my knowledge based upon official records and legal averments made therein are true on the legal advice and believed to be true.

*De*  
DEPONENT

**VERIFICATION**

अटमज भी. Deependra Singh Kushwah  
निवासी: Banpur Road Tikamgarh  
द्वारा आज दिनांक 15/9/25  
को मेरे समक्ष शपथ ग्रहण की।  
श्री एडवोकेट Pran S. D. S.  
ने शपथ ग्रहीता को Verified and signed on this 15 day of 9 2025 at (M.P.)



*De*  
DEPONENT

श्रीमती सोनिया सक्सेना  
शपथ आयुक्त, भोपाल  
प्रमाणित किया जाता है कि शपथग्रहिता  
को मेरे समक्ष शपथ-पत्र सुनाया गया।  
समझाया गया। उसे सही मानकर हस्ताक्षर/  
जसूरी के समक्ष अंकित किया गया।

*Abishi*  
**IDENTIFIED BY ME**

*S*  
श्रीमती सोनिया सक्सेना  
शपथ आयुक्त, भोपाल

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग, क्रमांक 1 टीकमगढ़ (म.प्र.)

क्रमांक

/ सहायक वर्ग - 3 / 2024-2025

टीकमगढ़ दिनांक .....

प्रति,

तहसीलदार  
तहसील टीकमगढ़ म.प्र.

**विषय :-** महेन्द्र सागर तालाब के भराव क्षेत्र में अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों को नोटिस तमील किये जाने की सूचना

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महेन्द्र सागर तालाब के भराव क्षेत्र में अतिक्रमण करने वाले 29 व्यक्तियों को नोटिस तमील कर आपकी ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न - 29 अतिक्रमणकारी व्यक्तियों के तमीलसुदा नोटिस की छायाप्रति।

रतना  
अनुविभागीय अधिकारी  
जल संसाधन उप संभाग  
क्रमांक 1 टीकमगढ़ (म.प्र.)

पृ. क्रमांक 07 / सहा.वर्ग-3 / 2024-2025  
प्रतिलिपि.-

टीकमगढ़ दिनांक 10-1-25

- (1) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ ।
- ✓ (2) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुविभाग टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ ।

Sobani  
अनुविभागीय अधिकारी  
जल संसाधन उप संभाग  
क्रमांक 1 टीकमगढ़ (म.प्र.)

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग.....-1 टीकमगढ़

जिला- टीकमगढ़ (म.प्र.)

नोटिस :

क्रमांक .....01...../राजस्व/

दिनांक...3-1-2025

श्री/श्रीमती जयंती पुष्पा पिता/पति श्री शिवशंकर कुशवाह

निवासी ग्राम अमरपुर खारवा तहसील टीकमगढ़ जिला- टीकमगढ़ को सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा जल संसाधन विभाग के अधिकार क्षेत्रों के अंदर तालाब के तल अथवा खूब क्षेत्र के बाहर निकली भूमि पर विभाग की अनुमति लिये बगैर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर कृषि कार्य किया जा रहा है। एवं तालाब से पम्प द्वारा सिंचाई हेतु पानी निकाला जा रहा है। जो नियमानुसार अवैधानिक है। तालाबों में जल स्तर कम होने के कारण पानी निकासी पर पूर्णतः रोक लगाई गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप दिनांक...7 दिवस तक पूर्ण रूप से कृषि कार्य एवं पम्प से पानी की निकासी बन्द कर अपना कब्जा हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

खसरा क्रमांक

रकबा

22485

0.150 हेक्टर

Sobati  
अनुविभागीय अधिकारी  
जल संसाधन उपसंभाग-1  
जिला- टीकमगढ़

पृष्ठ...../राजस्व/

दिनांक.....

प्रतिलिपि :-

1. अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुविभाग.....की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

मनीष कुशवाह

Ry...  
अधीन के हस्ताक्षर

[Signature]  
संस्था प्रभारी उपयंत्री के हस्ताक्षर

Sobati  
अनुविभागीय अधिकारी  
जल संसाधन उपसंभाग  
.....जिला- टीकमगढ़

नोटिस

क्रमांक ..... 01 ...../राजस्व/

दिनांक 3/1/2018

(2)

श्री/श्रीमती विपिन सैजीव पिता/पति श्री जयशंकर प्रसाद सिपाई  
 निवासी ग्राम कुम्हड़/कावली/ता.मदरवाली/जिला- टीकमगढ़ को सूचित किया  
 जाता है कि आपके द्वारा जल संसाधन विभाग के अधिकार क्षेत्रों के महेन्द्रगढ़ तालाब के तल अथवा  
 डूब क्षेत्र के बाहर निकली भूमि पर विभाग की अनुमति लिये बगैर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर कृषि कार्य किया  
 जा रहा है। एवं तालाब से पम्प द्वारा सिंचाई हेतु पानी निकाला जा रहा है। जो नियमानुसार अवैधानिक है। तालाबों  
 में जल स्तर कम होने के कारण पानी निकासी पर पूर्णतः रोक लगाई गई है।


अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 7/1/2018 तक पूर्ण रूप से कृषि कार्य एवं पम्प  
 से पानी की निकासी बन्द कर अपना कब्जा हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की  
 जावेगी जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

खसरा क्रमांक

रकवा

22035

0070 टेकरेप




5-1-2018  
 अनुविभागीय अधिकारी  
 जल संसाधन उपसंभाग  
 टीकमगढ़ (म.प्र.)  
 जिला- टीकमगढ़

पृष्ठ ..... 02 ...../राजस्व/

दिनांक .....

प्रतिलिपि :-

1. अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुविभाग ..... की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. कार्यपालन, यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

  
 अमीन के हस्ताक्षर

  
 संथा प्रभारी उष्यंत्री के हस्ताक्षर

5-1-2018  
 अनुविभागीय अधिकारी  
 जल संसाधन उपसंभाग  
 टीकमगढ़ (म.प्र.)  
 जिला- टीकमगढ़

175

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग, टीकमगढ़  
जिला- टीकमगढ़ (स.प्र.)

नोटिस

क्रमांक 01/...../राजस्व/

दिनांक 3-1-2025

श्री/श्रीमती श्री/श्रीमती ..... पिता/पति श्री .....  
निवासी ग्राम ..... जिला- टीकमगढ़ को सूचित किया

जाता है कि आपके द्वारा जल संसाधन विभाग के अधिकार क्षेत्रों के ..... तालाब के तल अथवा डूब क्षेत्र के बाहर निकली भूमि पर विभाग की अनुमति लिये बिना अनाधिकृत रूप से कब्जा कर कृषि कार्य किया जा रहा है। एवं तालाब से पम्प द्वारा सिंचाई हेतु पानी निकाला जा रहा है। जो नियमानुसार अवैधानिक है। तालाबों में जल स्तर कम होने के कारण पानी निकासी पर पूर्णतः रोक लगाई गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप दिनांक ..... तक पूर्ण रूप से कृषि कार्य एवं पम्प से पानी की निकासी बन्द कर अपना कब्जा हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

खसरा क्रमांक

रकवा

2234

0.030 हेक्टर

मन प्रिय  
5-1-25  
5:40 PM

अनुविभागीय अधिकारी  
जल संसाधन उपसंभाग  
टीकमगढ़ जिला- टीकमगढ़

पृष्ठ 02/...../राजस्व/

दिनांक.....

प्रतिलिपि

1. अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुविभाग, टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

अधीन के हस्ताक्षर

संथा प्रभारी उपयंत्री के हस्ताक्षर

अनुविभागीय अधिकारी  
जल संसाधन उपसंभाग  
टीकमगढ़ जिला- टीकमगढ़

1166

अखिल अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग. क-1 टीकमगढ़

जिला- टीकमगढ़ (म.प्र.)

नोटिस

क्रमांक 01/राजस्व/

दिनांक 3-1-25

(4)

श्री/श्रीमती वि. वि. वि. पिता/पति श्री रा. जे. प्र. सा. 4 पुरोहित

निवासी ग्राम श्री 2 मुं टीकमगढ़ तहसील टीकमगढ़ जिला- टीकमगढ़ को सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा जल संसाधन विभाग के अधिकार क्षेत्रों के न. दे. ग. ग. तालाब के तल अथवा डूब क्षेत्र के बाहर निकली भूमि पर विभाग की अनुमति लिये बगैर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर कृषि कार्य किया जा रहा है। एवं तालाब से पम्प द्वारा सिंचाई हेतु पानी निकाला जा रहा है। जो नियमानुसार अवैधानिक है। तालाबों में जल स्तर कम होने के कारण पानी निकासी पर पूर्णतः रोक लगाई गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 7.1.25 तक पूर्ण रूप से कृषि कार्य एवं पम्प से पानी की निकासी बन्द कर अपना कब्जा हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

खसरा क्रमांक

रकबा

2230

0.030 हेक्टेयर

N. Prasad  
04/01/25

S. K. Singh  
अनुविभागीय अधिकारी  
जल संसाधन उप संभाग  
क-1 टीकमगढ़ जिला- टीकमगढ़

पृष्ठ...../राजस्व/

दिनांक.....

प्रतिलिपि :-

1. अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुविभाग टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

Rajendra  
अभियंता के हस्ताक्षर

[Signature]  
संथा प्रभारी उपयंत्री के हस्ताक्षर

S. K. Singh  
अनुविभागीय अधिकारी  
जल संसाधन उपसंभाग  
टीकमगढ़ (म.प्र.)  
जिला- टीकमगढ़

जिला- टीकमगढ़ (म.प्र.)

नोटिस

क्रमांक 01...../राजस्व/

दिनांक 3-1-25

श्री/श्रीमती विद्यादेवी..... पिता/पति श्री 21/विद्यादेवी 4/अपरा-  
 निवासी ग्राम पुरानी टोही/..... तहसील टीकमगढ़..... जिला- टीकमगढ़ को सूचित किया  
 जाता है कि आपके द्वारा जल संसाधन विभाग के अधिकार क्षेत्रों के अन्दर तालाब के तल अथवा  
 डूब क्षेत्र के बाहर निकली भूमि पर विभाग की अनुमति लिये बगैर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर कृषि कार्य किया  
 जा रहा है। एवं तालाब से पम्प द्वारा सिंचाई हेतु पानी निकाला जा रहा है। जो नियमानुसार अवैधानिक है। तालाबों  
 में जल स्तर कम होने के कारण पानी निकासी पर पूर्णतः रोक लगाई गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 7 दिनांक तक पूर्ण रूप से कृषि कार्य एवं पम्प  
 से पानी की निकासी बन्द कर अपना कब्जा हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की  
 जावेगी जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

खसरा क्रमांक

रकबा

2245

0.07 0.07 0.07 0.07

विद्यादेवी

अनुविभागीय अधिकारी  
 जल संसाधन उपसंभाग  
 जिला- टीकमगढ़

पृष्ठ...../राजस्व/

दिनांक.....

प्रतिलिपि :-

1. अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुविभाग..... की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

अमीन के हस्ताक्षर

सथा प्रभारी उपयंत्री के हस्ताक्षर

अनुविभागीय अधिकारी  
 जल संसाधन उपसंभाग  
 जिला- टीकमगढ़

पालय अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग, ~~...~~  
जिला- टीकमगढ़ (म.प्र.)

नोटिस

क्रमांक ..... 01 ...../राजस्व/

दिनांक 3-1-25

श्री/श्रीमती ~~...~~ पिता/पति श्री ~~...~~  
निवासी ग्राम ~~...~~ तहसील ~~...~~ जिला- टीकमगढ़ को सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा जल संसाधन विभाग के अधिकार क्षेत्रों के ~~...~~ तालाब के तल अथवा डूब क्षेत्र के बाहर निकली भूमि पर विभाग की अनुमति लिये बगैर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर कृषि कार्य किया जा रहा है। एवं तालाब से पम्प द्वारा सिंचाई हेतु पानी निकाला जा रहा है। जो नियमानुसार अवैधानिक है। तालाबों में जल स्तर कम होने के कारण पानी निकासी पर पूर्णतः रोक लगाई गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप दिनांक ~~...~~ तक पूर्ण रूप से कृषि कार्य एवं पम्प से पानी की निकासी बन्द कर अपना कब्जा हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही का जावेगी जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

खसरा क्रमांक

रकबा

22 438

2000 = 00 97 1/2

40x50 अनाधिकृत

पम्प एवं

फैलाई

अनुविभागीय अधिकारी  
जल संसाधन उपसंभाग  
टीकमगढ़ (म.प्र.)  
जिला- टीकमगढ़

पृष्ठ...../राजस्व/

दिनांक 4/1/25

प्रतिलिपि :-

1. अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुविभाग ~~...~~ की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

~~...~~  
अमीन के हस्ताक्षर

~~...~~  
संस्था प्रभारी/उपयंत्री के हस्ताक्षर

~~...~~  
अनुविभागीय अधिकारी  
जल संसाधन उपसंभाग  
टीकमगढ़ (म.प्र.)  
जिला- टीकमगढ़

अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग

जिला- टीकमगढ़ (म.प्र.)

नोटिस

क्रमांक 01/राजस्व/

दिनांक 3-1-25

श्री/श्रीमती रामराम पिता/पति श्री रामराम कृष्णकाष्ठ

निवासी ग्राम लखवाड़ा तहसील टीकमगढ़ जिला- टीकमगढ़ को सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा जल संसाधन विभाग के अधिकार क्षेत्रों के तालाब के तल अथवा डूब क्षेत्र के बाहर निकली भूमि पर विभाग की अनुमति लिये बगैर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर कृषि कार्य किया जा रहा है। एवं तालाब से पम्प द्वारा सिंचाई हेतु पानी निकाला जा रहा है। जो नियमानुसार अवैधानिक है। तालाबों में जल स्तर कम होने के कारण पानी निकासी पर पूर्णतः रोक लगाई गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 7-1-25 तक पूर्ण रूप से कृषि कार्य एवं पम्प से पानी की निकासी बन्द कर अपना कब्जा हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

खसरा क्रमांक 22439

रकबा

25x30

750 वर्ग मीटर

अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग टीकमगढ़ जिला- टीकमगढ़

पृष्ठ/राजस्व/

दिनांक 4/1/2025

प्रतिलिपि :-

- 1. अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुविभाग की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

अमीन के हस्ताक्षर

संथा प्रभारी उपयंत्री के हस्ताक्षर

अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग टीकमगढ़ जिला- टीकमगढ़

नोटिस

क्रमांक ..... 01 ...../राजस्व/

दिनांक 3-1-25

श्री/श्रीमती <sup>हारे</sup> शम्भूदास, कलू, चन्द्र, मुन्ना, पिता/पति श्री <sup>4</sup> शम्भूदास/ कुशवाहा  
 निवासी ग्राम <sup>टीकमगढ़</sup> लकियु (म.प्र.) तहसील <sup>टीकमगढ़</sup> जिला- टीकमगढ़ को सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा जल संसाधन विभाग के अधिकार क्षेत्रों के <sup>महेसुला</sup> तालाब के तल अथवा डूब क्षेत्र के बाहर निकली भूमि पर विभाग की अनुमति लिये बगैर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर कृषि कार्य किया जा रहा है। एवं तालाब से पम्प द्वारा सिंचाई हेतु पानी निकाला जा रहा है। जो नियमानुसार अवैधानिक है। तालाबों में जल स्तर कम होने के कारण पानी निकासी पर पूर्णतः रोक लगाई गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप दिनांक <sup>7 दिनांक</sup> तक पूर्ण रूप से कृषि कार्य एवं पम्प से पानी की निकासी बन्द कर अपना कब्जा हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

खसरा क्रमांक  
 2248

रकवा  
 0.202 हेक्टेयर  
 अनुविभागीय अधिकारी  
 जल संसाधन उपसंभाग  
 टीकमगढ़ (म.प्र.)  
 जिला- टीकमगढ़

पृष्ठ...../राजस्व/

दिनांक 4/1/2025

- प्रतिलिपि :-
1. अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुविभाग, टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
  2. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*  
 अमीन के हस्ताक्षर

*(Handwritten signature)*  
 सहायक यंत्री के हस्ताक्षर

*(Handwritten signature)*  
 अनुविभागीय अधिकारी  
 जल संसाधन उपसंभाग  
 टीकमगढ़ (म.प्र.)  
 जिला- टीकमगढ़

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग, टीकमगढ़  
जिला- टीकमगढ़ (म.प्र.)

नोटिस

क्रमांक 01/राजस्व/

दिनांक 3-1-25

9) श्री/श्रीमती कमला शर्मा पिता/पति श्री परमू शर्मा  
निवासी ग्राम पुरानी देहरी टीकमगढ़ तहसील टीकमगढ़ जिला- टीकमगढ़ को सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा जल संसाधन विभाग के अधिकार क्षेत्रों के तालाब के तल अथवा डूब क्षेत्र के बाहर निकली भूमि पर विभाग की अनुमति लिये बगैर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर कृषि कार्य किया जा रहा है। एवं तालाब से पम्प द्वारा सिंचाई हेतु पानी निकाला जा रहा है। जो नियमानुसार अवैधानिक है। तालाबों में जल स्तर कम होने के कारण पानी निकासी पर पूर्णतः रोक लगाई गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 7 दिवस तक पूर्ण रूप से कृषि कार्य एवं पम्प से पानी की निकासी बन्द कर अपना कब्जा हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

खसरा क्रमांक

रकवा

2250

0.170 हेक्टर

अनुविभागीय अधिकारी  
जल संसाधन उपसंभाग  
टीकमगढ़ जिला- टीकमगढ़

पंजी 21  
6-1-2025  
पृष्ठ 02/राजस्व/

दिनांक.....

प्रतिलिपि :-

1. अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुविभाग टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

अमीन के हस्ताक्षर

संस्था प्रभारी के हस्ताक्षर

अनुविभागीय अधिकारी  
जल संसाधन उपसंभाग  
टीकमगढ़ जिला- टीकमगढ़

182

राज्य अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग. 5.4.01.1170

जिला- टीकमगढ़ (म.प्र.)

नोटिस

क्रमांक 01/राजस्व/

दिनांक 02-01-2025

श्री/श्रीमती सुब्बा विश्वकर्मा पिता/पति श्री

निवासी ग्राम पुरानी टेढ़ी टीकमगढ़ तहसील टीकमगढ़ जिला- टीकमगढ़ को सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा जल संसाधन विभाग के अधिकार क्षेत्रों के अंतर्गत तालाब के तल अथवा डूब क्षेत्र के बाहर निकली भूमि पर विभाग की अनुमति लिये बगैर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर कृषि कार्य किया जा रहा है। एवं तालाब से पम्प द्वारा सिंचाई हेतु पानी निकाला जा रहा है। जो नियमानुसार अवैधानिक है। तालाबों में जल स्तर कम होने के कारण पानी निकासी पर पूर्णतः रोक लगाई गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 7/1/2025 तक पूर्ण रूप से कृषि कार्य एवं पम्प से पानी की निकासी बन्द कर अपना कब्जा हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

खसरा क्रमांक

रकबा

2234F

0.170 हेक्टेयर

अनुविभागीय अधिकारी  
जल संसाधन उपसंभाग  
टीकमगढ़ जिला- टीकमगढ़

पृष्ठ/राजस्व/

दिनांक

प्रतिलिपि :-

- 1. अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुविभाग टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- 2. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

अधीनस्थ के हस्ताक्षर

संस्था प्रभारी उपयंत्री के हस्ताक्षर

अनुविभागीय अधिकारी  
जल संसाधन उपसंभाग  
टीकमगढ़ जिला- टीकमगढ़

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग, टीकमगढ़  
जिला- टीकमगढ़ (म.प्र.)

नोटिस

क्रमांक 01/राजस्व/

दिनांक 3/11/2025

श्री/श्रीमती 2 विराम पिता/पति श्री लक्ष्मण राम कुशवाहा

निवासी ग्राम अमरपुर, तहसील टीकमगढ़ जिला- टीकमगढ़ को सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा जल संसाधन विभाग के अधिकार क्षेत्रों के तालाब के तल अथवा डूब क्षेत्र के बाहर निकली भूमि पर विभाग की अनुमति लिये बगैर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर कृषि कार्य किया जा रहा है। एवं तालाब से पम्प द्वारा सिंचाई हेतु पानी निकाला जा रहा है। जो नियमानुसार अवैधानिक है। तालाबों में जल स्तर कम होने के कारण पानी निकासी पर पूर्णतः रोक लगाई गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 7/11/2025 तक पूर्ण रूप से कृषि कार्य एवं पम्प से पानी की निकासी बन्द कर अपना कब्जा हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

खसरा क्रमांक

रकबा

2250  
दयाराम

0.020 हेक्टेयर  
केसर

अनुविभागीय अधिकारी  
जल संसाधन उपसंभाग  
टीकमगढ़ (म.प्र.)  
जिला- टीकमगढ़

पृष्ठ...../राजस्व/

दिनांक.....

प्रतिलिपि :-

1. अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुविभाग, टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

अमीन के हस्ताक्षर

संथा प्रभारी उपयंत्री के हस्ताक्षर

अनुविभागीय अधिकारी  
जल संसाधन उपसंभाग  
टीकमगढ़ (म.प्र.)  
जिला- टीकमगढ़

नोटिस

क्रमांक ०१/राजस्व/

दिनांक 3/1/2025

श्री/श्रीमती लक्ष्मण लाल पिता/पति श्री नाथू राम पाण्डे

(12) निवासी ग्राम खलिया (सामरवाड़ा पार) तहसील टीकमगढ़ जिला- टीकमगढ़ को सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा जल संसाधन विभाग के अधिकार क्षेत्रों के महेन्द्रगढ़ तालाब के तल अथवा डूब क्षेत्र के बाहर निकली भूमि पर विभाग की अनुमति लिये बगैर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर कृषि कार्य किया जा रहा है। एवं तालाब से पम्प द्वारा सिंचाई हेतु पानी निकाला जा रहा है। जो नियमानुसार अवैधानिक है। तालाबों में जल स्तर कम होने के कारण पानी निकासी पर पूर्णतः रोक लगाई गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप दिनांक.....तक पूर्ण रूप से कृषि कार्य एवं पम्प से पानी की निकासी बन्द कर अपना कब्जा हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

खसरा क्रमांक

रकवा

2245

0.010 हेक्टेयर

अनुविभागीय अधिकारी  
जल संसाधन उपसंभाग-1  
टीकमगढ़ (म.प्र.)  
जल संसाधन उप संभाग  
टीकमगढ़ जिला- टीकमगढ़

पृष्ठ...../राजस्व/

दिनांक.....

प्रतिलिपि :-

1. अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुविभाग टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

Reserved by  
Rashmi Parulekar  
04/01/2025

अमीन के हस्ताक्षर

संस्था प्रभारी उपयंत्री के हस्ताक्षर

अनुविभागीय अधिकारी  
जल संसाधन उपसंभाग-1  
टीकमगढ़ (म.प्र.)  
जल संसाधन उप संभाग  
टीकमगढ़ जिला- टीकमगढ़

नोटिस

क्रमांक 01/राजस्व/

दिनांक 3/11/2025

13 श्री/श्रीमती विजय पिता/पति श्री कलू तिवारी  
 निवासी ग्राम पुराणी टेहरी तहसील टीकमगढ़ जिला- टीकमगढ़ को सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा जल संसाधन विभाग के अधिकार क्षेत्रों के तालाब के तल अथवा डूब क्षेत्र के बाहर निकली भूमि पर विभाग की अनुमति लिये बगैर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर कृषि कार्य किया जा रहा है। एवं तालाब से पम्प द्वारा सिंचाई हेतु पानी निकाला जा रहा है। जो नियमानुसार अवैधानिक है। तालाबों में जल स्तर कम होने के कारण पानी निकासी पर पूर्णतः रोक लगाई गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप दिनांक.....तक पूर्ण रूप से कृषि कार्य एवं पम्प से पानी की निकासी बन्द कर अपना कब्जा हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

खसरा क्रमांक

रकबा

2233

0.050 हेक्टेयर

वेस्ट

4-1-2025

अनुविभागीय अधिकारी  
 जल संसाधन उपसंभाग  
 टीकमगढ़ जिला- टीकमगढ़

पृष्ठ...../राजस्व/

दिनांक.....

प्रतिलिपि :-

1. अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुविभाग टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

अधीक्षक

संस्था प्रभारी उपयंत्री के हस्ताक्षर

अनुविभागीय अधिकारी  
 जल संसाधन उपसंभाग  
 टीकमगढ़ जिला- टीकमगढ़

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग, क. 1/1/2025

जिला- टीकमगढ़ (म.प्र.)

नोटिस

क्रमांक 01/राजस्व/

दिनांक 3/1/2025

14

श्री/श्रीमती वृजेश पंडित पिता/पति श्री

निवासी ग्राम टीकमगढ़ तहसील टीकमगढ़ जिला- टीकमगढ़ को सूचित किया

जाता है कि आपके द्वारा जल संसाधन विभाग के अधिकार क्षेत्रों के तालाब के तल अथवा डूब क्षेत्र के बाहर निकली भूमि पर विभाग की अनुमति लिये बगैर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर कृषि कार्य किया जा रहा है। एवं तालाब से पम्प द्वारा सिंचाई हेतु पानी निकाला जा रहा है। जो नियमानुसार अवैधानिक है। तालाबों में जल स्तर कम होने के कारण पानी निकासी पर पूर्णतः रोक लगाई गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 7 दिनांक तक पूर्ण रूप से कृषि कार्य एवं पम्प से पानी की निकासी बन्द कर अपना कब्जा हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

खसरा क्रमांक

रकवा

2284

0.050 हेक्टेयर  
बार केलिंग एवं  
पिलर बनाना

रक से

अनुविभागीय अधिकारी  
जल संसाधन उपसंभाग क. 1  
टीकमगढ़ जिला- टीकमगढ़

पृष्ठ 02/राजस्व/

दिनांक.....

प्रतिलिपि :-

1. अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुविभाग की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

अमीन के हस्ताक्षर

संथा प्रभारी उपयंत्री के हस्ताक्षर

अनुविभागीय अधिकारी  
जल संसाधन उपसंभाग  
टीकमगढ़ (म.प्र.)  
जिला- टीकमगढ़

187

आलय अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग...

जिला- टीकमगढ़ (म.प्र.)

नोटिस

क्रमांक 01/राजस्व/

दिनांक 31/1/2025

(15)

श्री/श्रीमती मायावती प्रिता/पति श्री सुबोध सुभारण्य

निवासी ग्राम मितापुर तहसील जिला- टीकमगढ़ को सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा जल संसाधन विभाग के अधिकार क्षेत्रों के तालाब के तल अथवा डूब क्षेत्र के बाहर निकली भूमि पर विभाग की अनुमति लिये बगैर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर कृषि कार्य किया जा रहा है। एवं तालाब से पम्प द्वारा सिंचाई हेतु पानी निकाला जा रहा है। जो नियमानुसार अवैधानिक है। तालाबों में जल स्तर कम होने के कारण पानी निकासी पर पूर्णतः रोक लगाई गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 7/1/2025 तक पूर्ण रूप से कृषि कार्य एवं पम्प से पानी की निकासी बन्द कर अपना कब्जा हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

खसरा क्रमांक	रकबा
22 पृष्ठ	15x40 वर्ग फीट
	मजान वर्ग फीट

80/2025  
अनुविभागीय अधिकारी  
जल संसाधन उपसंभाग  
टीकमगढ़ जिला- टीकमगढ़

पृष्ठ...../राजस्व/ दिनांक.....

प्रतिलिपि :-

1. अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुविभाग.....की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

8/1/2025

अमीन के हस्ताक्षर

संस्था प्रभारी उपयंत्रि के हस्ताक्षर

80/2025  
अनुविभागीय अधिकारी  
जल संसाधन उपसंभाग  
टीकमगढ़ जिला- टीकमगढ़

अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग, क-10/ममर  
जिला- टीकमगढ़ (म.प्र.)

नोटिस

क्रमांक 01/राजस्व/

दिनांक 3/1/2025

श्री/श्रीमती कन्देदी पिता/प्रति श्री उमराली/बल्लु दुआरा/

निवासी ग्राम अशितपुरा/ममर/टीकमगढ़ जिला- टीकमगढ़ को सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा जल संसाधन विभाग के अधिकार क्षेत्रों के अन्दर तालाब के तल अथवा डूब क्षेत्र के बाहर निकली भूमि पर विभाग की अनुमति लिये बगैर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर कृषि कार्य किया जा रहा है। एवं तालाब से पम्प द्वारा सिंचाई हेतु पानी निकाला जा रहा है। जो नियमानुसार अवैधानिक है। तालाबों में जल स्तर कम होने के कारण पानी निकासी पर पूर्णतः रोक लगाई गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 7 दिवस तक पूर्ण रूप से कृषि कार्य एवं पम्प से पानी की निकासी बन्द कर अपना कब्जा हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

खसरा क्रमांक

रकबा

3248

12x30 ककित  
= 360 ककित

अनुविभागीय अधिकारी  
जल संसाधन उप संभाग क्र. 1  
टीकमगढ़ जिला- टीकमगढ़

क-10/ममर...जिला- टीकमगढ़

पृष्ठ...../राजस्व/

दिनांक.....

प्रतिलिपि :-

1. अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुविभाग.....की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

रजद श्री प्राप्ति की  
Chen...  
3/1/2025

अमीन के हस्ताक्षर

संथा प्रभारी उपयंत्री के हस्ताक्षर

अनुविभागीय अधिकारी  
जल संसाधन उप संभाग क्र. 1  
टीकमगढ़ जिला- टीकमगढ़

जिला- टीकमगढ़ (म.प्र.)

नोटिस

क्रमांक ...../राजस्व/

दिनांक 3/1/2025

श्री/श्रीमती ..... पिता/पति श्री .....

निवासी ग्राम ..... तहसील ..... जिला- टीकमगढ़ को सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा जल संसाधन विभाग के अधिकार क्षेत्रों के ..... तालाब के तल अथवा डूब क्षेत्र के बाहर निकली भूमि पर विभाग की अनुमति लिये बगैर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर कृषि कार्य किया जा रहा है। एवं तालाब से पम्प द्वारा सिंचाई हेतु पानी निकाला जा रहा है। जो नियमानुसार अवैधानिक है। तालाबों में जल स्तर कम होने के कारण पानी निकासी पर पूर्णतः रोक लगाई गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप दिनांक ..... पूर्ण रूप से कृषि कार्य एवं पम्प से पानी की निकासी बन्द कर अपना कब्जा हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

खसरा क्रमांक

रकबा

2200

0.170 डेकरेप  
कालव नोकर

TSC

अनुविभागीय अधिकारी  
जल संसाधन उपसंभाग  
टीकमगढ़ (म.प्र.)  
जल संसाधन उपसंभाग  
.....जिला- टीकमगढ़

पृष्ठ...../राजस्व/

दिनांक.....

प्रतिलिपि :-

1. अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुविभाग ..... की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

.....  
अधीन के हस्ताक्षर

.....  
संथा प्रभाषी उपयंत्री के हस्ताक्षर

.....  
अनुविभागीय अधिकारी  
जल संसाधन उपसंभाग  
टीकमगढ़ (म.प्र.)  
जल संसाधन उपसंभाग  
.....जिला- टीकमगढ़

नोटिस

क्रमांक 01/राजस्व/

दिनांक 3-12-25

श्री/श्रीमती मुख्य नगरपालिका अधिकारी पिता/पति श्री  
नगरपालिका - टीकमगढ़निवासी ग्राम टीकमगढ़ तहसील टीकमगढ़ जिला- टीकमगढ़ को सूचित किया

जाता है कि आपके द्वारा जल संसाधन विभाग के अधिकार क्षेत्रों के अहेय क्षेत्र तालाब के तल अथवा डूब क्षेत्र के बाहर निकली भूमि पर विभाग की अनुमति लिये बगैर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर कृषि कार्य किया जा रहा है। एवं तालाब से पम्प द्वारा सिंचाई हेतु पानी निकाला जा रहा है। जो नियमानुसार अवैधानिक है। तालाबों में जल स्तर कम होने के कारण पानी निकासी पर पूर्णतः रोक लगाई गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 7-12-25 तक पूर्ण रूप से कृषि कार्य एवं पम्प से पानी की निकासी बन्द कर अपना कब्जा हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

खसरा क्रमांक

रकबा

1.500 हे० वाउचर/वाले बनाकर



[Signature]  
अनुविभागीय अधिकारी  
जल संसाधन उपसंभाग  
टीकमगढ़ (म.प्र.)  
जिला- टीकमगढ़

दिनांक.....

पृष्ठ 02/राजस्व/

प्रतिलिपि :-

1. अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुविभाग..... की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

[Signature]  
अनुविभागीय अधिकारी  
जल संसाधन उपसंभाग  
टीकमगढ़ (म.प्र.)  
जिला- टीकमगढ़

अमीन के हस्ताक्षर

संस्था प्रभारी उपयंत्री के हस्ताक्षर

जिला- टीकमगढ़ (म.प्र.)

नोटिस

क्रमांक 01/राजस्व/

दिनांक 3/4/2025

श्री/श्रीमती विद्यादेवी ..... प्रता/पति श्री गोविन्दराज शर्मा  
 निवासी ग्राम पुशनी देही टीकमगढ़ तहसील टीकमगढ़ जिला- टीकमगढ़ को सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा जल संसाधन विभाग के अधिकार क्षेत्रों के महेसुहाय तालाब के तल अथवा डूब क्षेत्र के बाहर निकली भूमि पर विभाग की अनुमति लिये बगैर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर कृषि कार्य किया जा रहा है। एवं तालाब से पम्प द्वारा सिंचाई हेतु पानी निकाला जा रहा है। जो नियमानुसार अवैधानिक है। तालाबों में जल स्तर कम होने के कारण पानी निकासी पर पूर्णतः रोक लगाई गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 7/5/25 तक पूर्ण रूप से कृषि कार्य एवं पम्प से पानी की निकासी बन्द कर अपना कब्जा हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

खसरा क्रमांक

रकबा

2237

0-405 हेक्टे.  
चासक की

अनुविभागीय अधिकारी  
 जल संसाधन उपसंभाग  
 टीकमगढ़ (म.प्र.)  
 जिला- टीकमगढ़

पृष्ठ...../राजस्व/

दिनांक.....

प्रतिलिपि :-

1. अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुविभाग.....की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

विद्यादेवी

अधीन के हस्ताक्षर

संथा प्रभारी उपयंत्री के हस्ताक्षर

अनुविभागीय अधिकारी  
 जल संसाधन उपसंभाग  
 टीकमगढ़ (म.प्र.)  
 जिला- टीकमगढ़

जिला अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग  
जिला- टीकमगढ़ (म.प्र.)

नोटिस ..

क्रमांक ...../राजस्व/

दिनांक 3/1/2025

श्री/श्रीमती चतुकांत पिता/पति श्री डी.वि.दास रेभवत  
निवासी ग्राम पुष्पा देही टीकमगढ़ तहसील जिला- टीकमगढ़ को सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा जल संसाधन विभाग के अधिकार क्षेत्रों के तालाब के तल अथवा डूब क्षेत्र के बाहर निकली भूमि पर विभाग की अनुमति लिये बगैर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर कृषि कार्य किया जा रहा है। एवं तालाब से पम्प द्वारा सिंचाई हेतु पानी निकाला जा रहा है। जो नियमानुसार अवैधानिक है। तालाबों में जल स्तर कम होने के कारण पानी निकासी पर पूर्णतः रोक लगाई गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 7/1/2025 तक पूर्ण रूप से कृषि कार्य एवं पम्प से पानी की निकासी बन्द कर अपना कब्जा हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

खसरा क्रमांक

2244

रकवा

0-202 लेख  
कलक कोक

अनुविभागीय अधिकारी  
जल संसाधन उपसंभाग  
टीकमगढ़ (म.प्र.)  
जिला- टीकमगढ़

पृष्ठ...../राजस्व/

दिनांक.....

प्रतिलिपि :-

1. अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुविभाग, टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

विद्या देवी

अमीन के हस्ताक्षर

संथा प्रभारी उपयंत्री के हस्ताक्षर

अनुविभागीय अधिकारी  
जल संसाधन उपसंभाग  
टीकमगढ़ (म.प्र.)  
जिला- टीकमगढ़

अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग. क. प्र. / टीकमगढ़  
जिला- टीकमगढ़ (म.प्र.)

नोटिस

क्रमांक ०१...../राजस्व/

दिनांक ३-०१-२५

श्री/श्रीमती सुचकारा पिता/पति श्री श्री विद्यादाय टिकमगढ़  
निवासी ग्राम पुरानी टोही तहसील टीकमगढ़ जिला- टीकमगढ़ को सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा जल संसाधन विभाग के अधिकार क्षेत्रों के तालाब के तल अथवा डूब क्षेत्र के बाहर निकली भूमि पर विभाग की अनुमति लिये बगैर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर कृषि कार्य किया जा रहा है। एवं तालाब से पम्प द्वारा सिंचाई हेतु पानी निकाला जा रहा है। जो नियमानुसार अवैधानिक है। तालाबों में जल स्तर कम होने के कारण पानी निकासी पर पूर्णतः रोक लगाई गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप दिनांक ७-३-२५ तक पूर्ण रूप से कृषि कार्य एवं पम्प से पानी की निकासी बन्द कर अपना कब्जा हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

खसरा क्रमांक

रकबा

२२५०

० २०२ छके २५  
कलक की

अनुविभागीय अधिकारी  
जल संसाधन उपसंभाग  
टीकमगढ़ जिला- टीकमगढ़

पृष्ठ...../राजस्व/

दिनांक.....

प्रतिलिपि :-

1. अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुविभाग.....की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

जिधा देवी

अमीज के हस्ताक्षर

संथा प्रभारी उपयंत्री के हस्ताक्षर

अनुविभागीय अधिकारी  
जल संसाधन उपसंभाग  
टीकमगढ़ जिला- टीकमगढ़

अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग  
जिला- टीकमगढ़ (म.प्र.)

नोटिस

क्रमांक ...../राजस्व/

दिनांक 3/11/2023

22) श्री/श्रीमती ..... पिता/पति श्री .....  
निवासी ग्राम ..... तहसील ..... जिला- टीकमगढ़ को सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा जल संसाधन विभाग के अधिकार क्षेत्रों के ..... तालाब के तल अथवा डूब क्षेत्र के बाहर निकली भूमि पर विभाग की अनुमति लिये बगैर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर कृषि कार्य किया जा रहा है। एवं तालाब से पम्प द्वारा सिंचाई हेतु पानी निकाला जा रहा है। जो नियमानुसार अवैधानिक है। तालाबों में जल स्तर कम होने के कारण पानी निकासी पर पूर्णतः रोक लगाई गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 7/11/23 तक पूर्ण रूप से कृषि कार्य एवं पम्प से पानी की निकासी बन्द कर अपना कब्जा हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

खसरा क्रमांक

रकबा

22/485

0.202 हेक्टर  
काला काल

अनुविभागीय अधिकारी  
जल संसाधन उपसंभाग  
टीकमगढ़ (म.प्र.)  
जिला- टीकमगढ़

वाले 25/11/23

पृष्ठ...../राजस्व/

दिनांक 04.10.25

प्रतिलिपि :-

1. अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुविभाग ..... की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

अमीन के हस्ताक्षर

संथा प्रभक्षी उपयंत्री के हस्ताक्षर

अनुविभागीय अधिकारी  
जल संसाधन उपसंभाग  
टीकमगढ़ (म.प्र.)  
जिला- टीकमगढ़

जिला- टीकमगढ़ (म.प्र.)

नोटिस

क्रमांक 01/राजस्व/

दिनांक 3/1/2025

(23) श्री/श्रीमती मागे सुवर्ण पिता/पति श्री रामचंद्र रंजण  
 निवासी ग्राम एकवाड़ा तहसील टीकमगढ़ जिला- टीकमगढ़ को सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा जल संसाधन विभाग के अधिकार क्षेत्रों के एकवाड़ा तालाब के तल अथवा डूब क्षेत्र के बाहर निकली भूमि पर विभाग की अनुमति लिये बगैर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर कृषि कार्य किया जा रहा है। एवं तालाब से पम्प द्वारा सिंचाई हेतु पानी निकाला जा रहा है। जो नियमानुसार अवैधानिक है। तालाबों में जल स्तर कम होने के कारण पानी निकासी पर पूर्णतः रोक लगाई गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 27.12.24 तक पूर्ण रूप से कृषि कार्य एवं पम्प से पानी की निकासी बन्द कर अपना कब्जा हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाही की जावेगी जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

खसरा क्रमांक

रकवा

2250

0.262 हेक्टर  
वाकवा वोकवा

अनुविभागीय अधिकारी  
 जल संसाधन उपसंभाग  
 जिला- टीकमगढ़

दिनांक 04.01.25

पृष्ठ...../राजस्व/

प्रतिलिपि :-

1. अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुविभाग जल संसाधन उपसंभाग की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

[Signature]  
 अमीन के हस्ताक्षर

[Signature]  
 संथा प्रभारी उपयंत्री के हस्ताक्षर

[Signature]  
 अनुविभागीय अधिकारी  
 जल संसाधन उपसंभाग  
 जिला- टीकमगढ़

196

जल संसाधन उपसंभाग, टीकमगढ़ (म.प्र.)

नोटिस

क्रमांक 01/राजस्व/

दिनांक 3/11/2025

24)

श्री/श्रीमती रमेश बाबू पिता/प्रति श्री सूर्य कान्त शर्मा

निवासी ग्राम मजरा देवद्वारा तहसील जिला- टीकमगढ़ को सूचित किया

जाता है कि आपके द्वारा जल संसाधन विभाग के अधिकार क्षेत्रों के तालाब के तल अथवा डूब क्षेत्र के बाहर निकली भूमि पर विभाग की अनुमति लिये बगैर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर कृषि कार्य किया जा रहा है। एवं तालाब से पम्प द्वारा सिंचाई हेतु पानी निकाला जा रहा है। जो नियमानुसार अवैधानिक है। तालाबों में जल स्तर कम होने के कारण पानी निकासी पर पूर्णतः रोक लगाई गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 7 दिवस तक पूर्ण रूप से कृषि कार्य एवं पम्प से पानी की निकासी बन्द कर अपना कब्जा हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

खसरा क्रमांक 22.30

रकबा 0.405 एकर

रमेश बाबू (Signature)
अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग, टीकमगढ़ (म.प्र.)

पृष्ठ/राजस्व/

दिनांक

प्रतिलिपि :-

- 1. अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुविभाग की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

अमीन के हस्ताक्षर

संस्था प्रभारी/उपयंत्री के हस्ताक्षर

(Signature)
अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग, टीकमगढ़

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग, क-101/2025

जिला- टीकमगढ़ (म.प्र.)

नोटिस :

क्रमांक 01/राजस्व/

दिनांक 3/11/2025

(25) श्री/श्रीमती गणेश लाल पिता/पति श्री मंगलदास रंजन  
निवासी ग्राम पुरानी देहली जिला- टीकमगढ़ को सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा जल संसाधन विभाग के अधिकार क्षेत्रों के तालाब के तल अथवा डूब क्षेत्र के बाहर निकली भूमि पर विभाग की अनुमति लिये बगैर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर कृषि कार्य किया जा रहा है। एवं तालाब से पम्प द्वारा सिंचाई हेतु पानी निकाला जा रहा है। जो नियमानुसार अवैधानिक है। तालाबों में जल स्तर कम होने के कारण पानी निकासी पर पूर्णतः रोक लगाई गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 7 दिनांक तक पूर्ण रूप से कृषि कार्य एवं पम्प से पानी की निकासी बन्द कर अपना कब्जा हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

खसरा क्रमांक

रकबा

22/08

0.405 हेक्टेयर  
काला कोयल  
अनुविभागीय अधिकारी  
जल संसाधन उपसंभाग क-1  
जिला- टीकमगढ़

पृष्ठ...../राजस्व/

दिनांक.....

प्रतिलिपि :-

1. अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुविभाग, क-101/2025 की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

गणेश रंजन

अधीन के हस्ताक्षर

संस्था प्रभारी/सूचयंत्री के हस्ताक्षर

अनुविभागीय अधिकारी  
जल संसाधन उपसंभाग क-1  
जिला- टीकमगढ़

198

अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग, क-1, टीकमगढ़

जिला- टीकमगढ़ (म.प्र.)

नोटिस

क्रमांक 01/राजस्व/

दिनांक 3/1/2025

26

श्री/श्रीमती हरपदा दे पिता/पति श्री कामोदा देकवार

निवासी ग्राम पुरानी देहरी तहसील मीरजापुर जिला- टीकमगढ़ को सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा जल संसाधन विभाग के अधिकार क्षेत्रों के हरे हरपदा तालाब के तल अथवा डूब क्षेत्र के बाहर निकली भूमि पर विभाग की अनुमति लिये बगैर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर कृषि कार्य किया जा रहा है। एवं तालाब से पम्प द्वारा सिंचाई हेतु पानी निकाला जा रहा है। जो नियमानुसार अवैधानिक है। तालाबों में जल स्तर कम होने के कारण पानी निकासी पर पूर्णतः रोक लगाई गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 2/1/25 तक पूर्ण रूप से कृषि कार्य एवं पम्प से पानी की निकासी बन्द कर अपना कब्जा हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

खसरा क्रमांक 2258

रकवा 0-020 हेक्टर

अनुविभागीय अधिकारी  
जल संसाधन उपसंभाग  
जल संसाधन (उप) संभाग  
क-1, टीकमगढ़

पृष्ठ...../राजस्व/

हरपदा दे शंकर

दिनांक.....

प्रतिलिपि :-

1. अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुविभाग, क-1, टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

अमीन के हस्ताक्षर

संस्था प्रभारी उपयंत्री के हस्ताक्षर

अनुविभागीय अधिकारी  
जल संसाधन उपसंभाग  
जल संसाधन (उप) संभाग  
क-1, टीकमगढ़

अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग, टीकमगढ़ (म.प्र.)

नोटिस

क्रमांक 01/राजस्व/

दिनांक 3/1/2025

27)

श्री/श्रीमती राजश्री ..... पिता/पति श्री हरिहर पाण्डे

निवासी ग्राम पुरानी तहसील टीकमगढ़ जिला- टीकमगढ़ को सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा जल संसाधन विभाग के अधिकार क्षेत्रों के तालाब के तल अथवा डूब क्षेत्र के बाहर निकली भूमि पर विभाग की अनुमति लिये बगैर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर कृषि कार्य किया जा रहा है। एवं तालाब से पम्प द्वारा सिंचाई हेतु पानी निकाला जा रहा है। जो नियमानुसार अवैधानिक है। तालाबों में जल स्तर कम होने के कारण पानी निकासी पर पूर्णतः रोक लगाई गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 7/1/2025 तक पूर्ण रूप से कृषि कार्य एवं पम्प से पानी की निकासी बन्द कर अपना कब्जा हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

खसरा क्रमांक

22/2/1

खसरा क्रमांक	रकबा
2007	20 x 50 वर्ग फीट
2008	25 x 40 वर्ग फीट
2009	30 x 50 वर्ग फीट

पृष्ठ...../राजस्व/

दिनांक.....

प्रतिलिपि :-

1. अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुविभाग, टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

4-1-25 2 P.M.

अमीन के हस्ताक्षर

संस्था प्रभारी/उपप्रभारी के हस्ताक्षर

अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग, टीकमगढ़

अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग  
जिला- टीकमगढ़ (म.प्र.)

नोटिस

क्रमांक 01/राजस्व/

दिनांक 3/1/2025

281

श्री/श्रीमती डा. हरिहर पिता/पति श्री गो. विन्दा सिंह  
निवासी ग्राम पुष्पा नहर के वगैरहसील टीकमगढ़ जिला- टीकमगढ़ को सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा जल संसाधन विभाग के अधिकार क्षेत्रों के तालाब के तल अथवा डूब क्षेत्र के बाहर निकली भूमि पर विभाग की अनुमति लिये बगैर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर कृषि कार्य किया जा रहा है। एवं तालाब से पम्प द्वारा सिंचाई हेतु पानी निकाला जा रहा है। जो नियमानुसार अवैधानिक है। तालाबों में जल स्तर कम होने के कारण पानी निकासी पर पूर्णतः रोक लगाई गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 07 दिनांक तक पूर्ण रूप से कृषि कार्य एवं पम्प से पानी की निकासी बन्द कर अपना कब्जा हटा लें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

खसरा क्रमांक

रकबा

22/2/2

0-708

0-408

10x25 का कि/2 में 22/2/2  
वगैरह 25x50 का कि/2 में 22/2/2  
में 22/2/2 का कि/2 में 22/2/2  
का कि/2 में 22/2/2

पृष्ठ...../राजस्व/

दिनांक.....

प्रतिलिपि :-

1. अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुविभाग.....की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

5/1/25  
1-21-2 P.M.


अमीन के हस्ताक्षर

संथा प्रभारी उपयंत्री के हस्ताक्षर

अनुविभागीय अधिकारी  
जल संसाधन उपसंभाग  
जिला- टीकमगढ़

201

Annexure R - 2




20/09/2025 17:40

Padharoji marriage garden parking  
gate near, near Kamani gate,  
Tikamgarh, Madhya Pradesh 4720...

  
31°C  
overcast clouds

Lat : 24.737688 Long : 78.826716

202  
42



20/09/2025 17:44


PRRM+28G, Kundeshwar,  
Tikamgarh, Madhya Pradesh  
472001, India



31°C  
overcast clouds

Lat : 24.739824 Long : 78.833413

203  
43



20/09/2025 17:45

Padharoji marriage garden parking  
gate near, near Kamani gate,  
Tikamgarh, Madhya Pradesh 4720...

  
31°C  
overcast clouds

Lat : 24.737694 Long : 78.826719

## कार्यालय नगर पालिका परिषद टीकमगढ़ (म.प्र.)

क्रमांक 57 / लो.नि./न.पा./2024  
प्रति,

टीकमगढ़ दिनांक 8/1/24

कार्यपालन यंत्री  
सिंचाई विभाग टीकमगढ़  
जिला टीकमगढ़


विषय:- महेन्द्र सागर तालाब वाईपास रोड किनारे विकास एवं सौन्दर्यकरण कार्य हेतु एन.ओ. सी प्रदान करने बावत्।

--00--

महोदय,

उपरोक्त दिषयांतर्गत लेख हैं कि महेन्द्र सागर तालाब वाईपास रोड किनारे निकाय द्वारा अमृत 2.0, मुख्यमंत्री अंधोसंरचना विकास एवं अन्य योजना द्वारा पार्क विकास एवं सौन्दर्यकरण कार्य किया जाना हैं। जिसमें बनी हुई वाईपास रोड कन्ट्रोल लाईन की दूरी से तालाब की ओर 20 मीटर दूरी तक सौन्दर्यकरण एवं विकास कार्य किया जाना हैं। जिसमें पार्क, वृक्षारोपण एवं पिचिंग, वार्किंग स्ट्रीट बनाया जाना है।।

अतः विकास कार्य हेतु एन.ओ.सी प्रदान करने का कष्ट करें। ताकि शासन की योजना को समय-सीमा में पूर्ण किया जा सकें।



क्रमांक 58 / लो.नि./न.पा./2024  
प्रतिलिपि:- सूचनार्थ संप्रेषित।

1. कलेक्टर महोदय, जिला टीकमगढ़

*Ashu*  
मुख्य नगर पालिका अधिकारी  
नगर पालिका परिषद टीकमगढ़

टीकमगढ़ दिनांक 8/1/24

*Ashu*  
मुख्य नगर पालिका अधिकारी  
नगर पालिका परिषद टीकमगढ़

EE  
Sm  
17.01.24

पृ. क्र.

106

प्रतिलिपि :

कार्यालय  
कार्यपालन यंत्री  
जल ससाधन सभाग  
टीकमगढ़ (म.प्र.)  
कार्य।

दिनांक 8/1/24

अनुविभागीय अधिकारी जल ससाधन उपसंभाग क्र. 1 टीकमगढ़ की ओर भेजकर लेख है कि स्थल निरीक्षण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

*Shally*  
कार्यपालन यंत्री  
जल ससाधन सभाग  
टीकमगढ़ (म.प्र.)

पत्र क्रमांक

463

/कार्य/2023-2024

टीकमगढ़ दिनांक

4-3-24

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
नगरपालिका परिषद टीकमगढ़

विषय :- महेन्द्र सागर तालाब बाईपास रोड किनारे विकास एवं सौन्दर्यकरण कार्य हेतु एन.ओ.सी. प्रदान करने बावत्।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक 57/लो.नि./न.प./2024 टीकमगढ़ दिनांक 08.01.2024

00

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके संदर्भित पत्र में महेन्द्र सागर तालाब बाईपास रोड किनारे निकाय द्वारा अमृत 2.0, मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास एवं अन्य योजना द्वारा पार्क एवं सौन्दर्यकरण कार्य हेतु बाईपास रोड कन्ट्रोल लाइन की दूरी से तालाब की ओर 20 मीटर दूरी तक सौन्दर्यकरण एवं विकास कार्य जिसमें पार्क, वृक्षारोपण एवं पिचिंग, वाकिंग स्ट्रीट बनाए जाने हेतु अनुमति चाही है।

उक्त कार्य की निम्नानुसार अनुमति प्रदान की जाती है :-

- (1) महेन्द्र सागर तालाब के पूर्ण जल स्तर (एम.डब्ल्यू.एल लेविल) पर भरने पर आपके सौन्दर्यकरण एवं विकास कार्य की किसी प्रकार की क्षति होती है उसका उत्तरदायित्व जल संसाधन विभाग का नहीं होगा।
- (2) कार्य स्थल पर बांध, बेस्ट वियर, फीडर चैनल, स्लूस, स्ट्रक्चर्स एवं भवन आदि निर्मित संरचनाओं के मूल स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें और न ही क्षतिग्रस्त करें।
- (3) बांध पर किसी प्रकार की खुदाई न करें, न ही गहरी जड़ों वाले वृक्ष लगावें।
- (4) उक्त कार्य जल संसाधन विभाग की निगरानी में किया जावें एवं विभाग के निर्देशों का पालन किया जाना उचित होगा।
- (5) उक्त कार्य हेतु विभाग द्वारा किसी प्रकार का आर्थिक व्यय देय नहीं होगा।
- (6) उक्त कार्य की अनुमति एक वर्ष हेतु दी गई है समय सीमा के उपरान्त स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

(डी.एस.कुशवाह)

कार्यपालन यंत्री

जल संसाधन संभाग

टीकमगढ़ (म.प्र.)

पत्र क्रमांक

464

/कार्य./2023-2024

टीकमगढ़ दिनांक

4-3-24

प्रतिलिपि :-

- (1) कलेक्टर महोदय जिला टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- (2) अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग क्रमांक 1 टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (3) श्री एस.के.श्रीवास्तव उपयंत्री द्वारा अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग क्रमांक 1 टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। लेख है कि कार्यस्थल पर सतत निगरानी रखते हुये तकनीकी बिन्दुओं का ध्यान रखा जावें।

(डी.एस.कुशवाह)

कार्यपालन यंत्री

जल संसाधन संभाग

टीकमगढ़ (म.प्र.)

कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, टीकमगढ़ (म.प्र.)

E-mail-ID- eewrdtkg@ gmail.com, Phone No. 07683-245304

पत्र क्रमांक 2329 / कार्य / 2023-24  
प्रति,

टीकमगढ़ दिनांक 06.12.2024

मुख्य नगरपालिका अधिकारी  
टीकमगढ़ (म.प्र.)

विषय :- महेन्द्र सागर तालाब पर निर्माणाधीन पार्क के संबंध में।  
संदर्भ :- अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग क्रमांक 1 टीकमगढ़ का पत्र क्रमांक 210 / सहायक वर्ग-3 / 2024-2025 टीकमगढ़ दिनांक 06.12.2024

-----00-----

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें जिसके माध्यम से अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग क्रमांक 1 टीकमगढ़ ने महेन्द्र सागर तालाब टीकमगढ़ के सीमा क्षेत्र में वर्तमान आपके द्वारा हो रहे पार्क निर्माण कार्य में जल संसाधन विभाग के विभागीय निर्देशों का पालन न करने एवं भविष्य में उक्त पार्क निर्माण के कारण तालाब के जल भराव में कमी होने की संभावना का उल्लेख किया है।

अतः उपरोक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए अनुरोध है कि उक्त पार्क निर्माण कार्य को अविलम्ब बन्द कराते हुए इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें। अन्यथा की स्थिति में उक्त निर्माण कार्य को अनाधिकृत मानते हुये नियमानुकूल आवश्यक कार्यवाही की जावेगी एवं भविष्य में उत्पन्न विषम परिस्थितियों की जिम्मेदारी नगरपालिका टीकमगढ़ एवं निर्माण एजेंसी की होगी।

(डी.एस.कुशवाह)  
कार्यपालन यंत्री  
जल संसाधन संभाग  
टीकमगढ़ (म.प्र.)

पत्र क्रमांक 2330 / कार्य / 2024  
प्रतिलिपि :-

टीकमगढ़ दिनांक 06.12.2024

1. कलेक्टर जिला टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ।
2. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ
3. अधीक्षण यंत्री जल संसाधन मण्डल छतरपुर की सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग क्रमांक 1 टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से संपर्क स्थापित कर प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही कर इस कार्यालय को अवगत करावें।

(डी.एस.कुशवाह)  
कार्यपालन यंत्री  
जल संसाधन संभाग  
टीकमगढ़ (म.प्र.)

कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, टीकमगढ़ (म.प्र.)

E-mail-ID- eewrdtkg@ gmail.com, Phone No. 07683-245304

पत्र क्रमांक  
प्रति,

150

/कार्य/2024-25

टीकमगढ़ दिनांक 10-2-25

मुख्य नगरपालिका अधिकारी  
टीकमगढ़ (म.प्र.)

विषय :- महेन्द्र सागर तालाब पर निर्माणाधीन पार्क के संबंध में।

संदर्भ :- 1. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 2329/कार्य./2023-24 टीकमगढ़ दि. 06.12.2014।  
2. अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग क्रमांक 1 टीकमगढ़ का पत्र क्रमांक 210/सहायक वर्ग-3/2024-2025 टीकमगढ़ दिनांक 06.12.2024

-----00-----

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें जिसके माध्यम से जल संसाधन संभाग अंतर्गत महेन्द्र सागर तालाब के सीमा क्षेत्र में आपके द्वारा वर्तमान में हो रहे पार्क निर्माण कार्य में आपत्ति व्यक्त की गई थी एवं निर्माण कार्य को अविलम्ब बंद कराने हेतु लेख किया गया था जिस संबंध में आपके द्वारा आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

अतः अनुरोध है कि उक्त पार्क निर्माण कार्य को अविलम्ब बन्द कराते हुए इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें। अन्यथा की स्थिति में उक्त निर्माण कार्य को अनाधिकृत मानते हुये नियमानुकूल आवश्यक कार्यवाही की जावेगी एवं भविष्य में उत्पन्न विषम परिस्थितियों का उत्तरदायित्व नगरपालिका टीकमगढ़ एवं निर्माण एजेंसी की होगी।

(डी.एस.कुशवाह)

कार्यपालन यंत्री

जल संसाधन संभाग

टीकमगढ़ (म.प्र.)

पत्र क्रमांक  
प्रतिलिपि :-

151

/कार्य/2025

टीकमगढ़ दिनांक 10-2-25

1. कलेक्टर जिला टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. मुख्य अभियंता धसान केन कछार सागर की ओर सूचनार्थ।
4. अधीक्षण यंत्री जल संसाधन मण्डल छतरपुर की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग क्रमांक 1 टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से संपर्क स्थापित कर प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही कर इस कार्यालय को अवगत करावें।

(डी.एस.कुशवाह)

कार्यपालन यंत्री

जल संसाधन संभाग

टीकमगढ़ (म.प्र.)

# कार्यालय- नगर पालिका परिषद टीकमगढ़ (म.प्र.)

<https://nagarpalikatikamgarh.co.in>, Email-cmotikamgarh@mpurban.gov.in

क्रमांक 1689 / निर्माण शाखा / न.पा. / 2025

टीकमगढ़ दिनांक ...24/03/2025

प्रति,

कलेक्टर महोदय,  
जिला-टीकमगढ़ (म.प्र.)

विषय :- महेन्द्र सागर तालाब टीकमगढ़ में नगर पालिका परिषद द्वारा भराव क्षेत्र में बनाये जा रहे पार्क निर्माण कार्य पर रोक लगाने बावत्।  
संदर्भ :- कार्यालय जिला शहरी विकास अभिकरण टीकमगढ़ का पत्र क्रमांक/डीयूडीए/ योजना/2025/209 टीकमगढ़ दिनांक 17.03.2025।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित के संबंध में लेख है, संबंधित उपयंत्री द्वारा दी गई जानकारी अनुसार प्रतिवेदन इस प्रकार है कि, महेन्द्र सागर तालाब पर पार्क निर्माण का कार्य अमृत 2.0 के अन्तर्गत किया जा रहा है यह केन्द्र सरकार कि महत्वाकांक्षी योजना है उक्त भूमि पर पार्क निर्माण हेतु मध्य प्रदेश शासन जिला डी.एल.एम.आर.सी. की बैठक दिनांक 03.01.2024 द्वारा ही भूमि का अनुमोदन करवाने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया गया है। कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग द्वारा 04.03.2024 को एन.ओ.सी. जारी कर कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति दी गई।

1. पार्क में कोई भी पक्का भवन या अन्य कार्य नहीं किया जा रहा है। इसमें केवल पौधारोपण एवं Gym Equipment & Play Equipment लगाने सही लगाये जा रहे हैं इनको सुरक्षा के लिये बाउण्ड्रीवाल बनाई जा रही है।
2. स्थल का चयन शासन से नियुक्त कन्सल्टेण्ड द्वारा सर्वे कर तालाब का डी.पी.आर. तैयार किया गया है जिसमें तालाब के एच.एफ.एल. लेवल पर ही पार्क का कार्य किया जा रहा है एवं तालाब के भराव क्षेत्र में कोई कमी नहीं हो रही है।
3. यह पार्क जनसुविधा एवं तालाब के लिये उपयोगी है। जिसकी Enviroment Report डी.पी.आर. में दी गई है।
4. महेन्द्र सागर तालाब पर हरित क्षेत्र विकसित करने से वॉटर बॉडी का तापमान नियंत्रित रहेगा तथा पार्क वर्षा को जल को छानने, अपवाह को कम करने तथा जल की गुणवत्ता को संरक्षित करने में मदद करेगा।
5. तालाब की 15 वर्षों की Google Image में देखा गया है कि चयनित स्थल पर पानी का भराव नहीं रहता है एवं जिससे ऐसा प्रतीत होता है जल क्षेत्र का क्षेत्र ना होकर Wet Land क्षेत्र है इसलिये इसमें हरित क्षेत्र विकसित किया जा सकता है।  
वर्तमान में केवल पार्क की सुरक्षा हेतु बाउण्ड्रीवाल का ही निर्माण किया गया है।  
अतः उक्त कार्य से वायु का शुद्धीकरण होगा जिससे कार्य किया जाना उचित प्रतीत होता है कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सादर प्रेषित



पृ.क्रमांक 1690 / निर्माण शाखा / न.पा. / 2025

प्रतिलिपि :-

1. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत।
2. परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत।

*[Signature]*  
मुख्य नगर पालिका अधिकारी  
नगर पालिका परिषद, टीकमगढ़  
टीकमगढ़ दिनांक ...24/03/2025

*[Signature]*  
मुख्य नगर पालिका अधिकारी  
नगर पालिका परिषद, टीकमगढ़

# कार्यालय कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ (म.प्र.)

E-mail-ID-eewrdtkg@ gmail.com, Phone No. 07683-245304

पत्र क्रमांक

510

/स्था./2025

टीकमगढ़ दिनांक

8-7-25

## प्रतिवेदन

OA No. 54/2024-25 (cz) माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण केन्द्रीय जोन भोपाल (म.प्र.)।

000

जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ अन्तर्गत महेन्द्र सागर तालाब बाई पास रोड किनारे नगर पालिका परिषद टीकमगढ़ के पत्र क्रमांक 58/लो.नि./न.पा./2024 दिनांक 08.01.2024 के परिपक्ष्य में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 463/कार्य/टीकमगढ़ दिनांक 04.03.2024 द्वारा महेन्द्र सागर तालाब बाई पास रोड किनारे निकाय द्वारा अमृत 2.0 मुख्य मंत्री अधोसंरचना विकास एवं अन्य योजनान्तर्गत पार्क एवं सौन्दर्यीकरण कार्य हेतु बाईपास रोड कन्ट्रोल लाइन की दूरी से तालाब की ओर 20 मीटर दूरी तक सौन्दर्यीकरण एवं वृक्षारोपण एवं पिचिंग,वाकिंग स्ट्रीट बनाए जाने हेतु विभागीय शर्तों के तहत अनुमति प्रदान की गई थी ।

किन्तु निकाय द्वारा पार्क निर्माण का कार्य समम्पादित किए जाने से विभागीय आपत्ति दर्शाते हुए निर्माण कार्य अविलम्ब बंद कराने हेतु कार्यालय के पत्र क्रमांक 2327/कार्य/दिनांक 06.12.2024 एवं पत्र क्रमांक 150/कार्य/दिनांक 10.02.2025 द्वारा सूचनापत्र जारी करते हुए यह लेख किया गया था कि पार्क निर्माण कार्य को अविलम्ब बन्द न करने की स्थिति में उक्त निर्माण कार्य को अनाधिकृत मानते हुए नियमानुकूल कार्यवाही संस्थापित की जावेगी। जिसको सूचना कलेक्टर टीकमगढ़ एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को भी दी गई है।

तत्पश्चात नगर पालिका परिषद टीकमगढ़ द्वारा कलेक्टर महोदय टीकमगढ़ को संबोधित पत्र क्रमांक 1689/निर्माण कार्य दिनांक 24.03.2024 के बिन्दुक्रमांक 6 में यह लेख किया है कि पार्क की सुरक्षा की दृष्टि से वाउण्ड्रीवाल का निर्माण किया गया है ।

तदनुसार यदि भविष्य में तालाब की सुरक्षा अथवा जल भराव की क्षमता प्रभावित होने पर नगर पालिका परिषद द्वारा किए गए कार्य को अनाधिकृत मानते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है।

  
(डी.एस.कुशवाह)

कार्यपालन यंत्री

जल संसाधन संभाग

 टीकमगढ़ (म.प्र.)

क्रमांक  
प्रति,

54/RM/2025

टीकमगढ़, दिनांक 30/6/2025

श्री दीपेन्द्र सिंह कुशवाह,  
कार्यपालन यंत्री,  
जल संसाधन संभाग,  
टीकमगढ़

विषय:- जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ के अंतर्गत तालाबों/नहरों की भूमि से अतिक्रमण हटवाने एवं पानी की निकासी की व्यवस्था कराने के संबंध में।

जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत तालाबों एवं तालाबों की नहरों से अतिक्रमण हटवाने कार्यवाही की गयी है। जल गंगा संवर्धन अभियान में नगर टीकमगढ़ में ही महेन्द्र सागर तालाब की भूमि तथा महेन्द्र सागर की वण्डा नहर तथा पटा तालाब से आने वाली नाली को भी अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। महेन्द्र सागर तालाब के वण्डा नाले से पानी नगर के ही विन्द्रावन तालाब में आता है। चूंकि इस वर्ष अच्छी वर्षा होने की संभावना है, जिसके कारण महेन्द्र सागर तालाब में अत्यधिक पानी आने की भी संभावना है। मानसून की पहली ही वर्षा में नगर टीकमगढ़ की वण्डा नहर में पानी आ गया है।

अतः आप वर्षा ऋतु में महेन्द्र सागर तालाब के भरने की स्थिति में तालाब की क्षमता से अधिक पानी की निकासी हेतु वण्डा नहर, विन्द्रावन तालाब और विन्द्रावन तालाब के भरने की स्थिति में पानी की निकासी हेतु निरीक्षण करें। जिले के अन्य तालाबों एवं उनके वेस्टवियर का भी निरीक्षण कर लें तथा आपके प्रेक्षण उपरांत पाये गये उपायों के संबंध में तकनीकी रूप से नगरीय क्षेत्रों में एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के सहयोग से पूरे जिलों के तालाबों में क्षमता से अधिक पानी आने की स्थिति में पानी की निकासी हेतु प्रबंधन व्यवस्था करें ताकि तालाबों को किसी प्रकार की क्षति न हो एवं आमजन की भी सुरक्षा बनी रहे।

उक्त संबंध में की गई कार्यवाही से मुझे समय-समय पर अवगत करायें।

(विवेक शर्मा)  
कलेक्टर,

जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

टीकमगढ़, दिनांक 30/6/2025

पृ0क्रमांक RM/2025/54  
प्रतिलिपि:-

1. कमिश्नर, सागर संभाग, सागर।
2. पुलिस अधीक्षक, टीकमगढ़
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला टीकमगढ़
4. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) टीकमगढ़/जतारा/बल्देवगढ़
5. तहसीलदार/नायब तहसीलदार(समस्त) जिला टीकमगढ़
6. परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण, जिला टीकमगढ़
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, टीकमगढ़/बल्देवगढ़/जतारा/पलेरा जिला टीकमगढ़
8. समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका/नगर पंचायत, जिला टीकमगढ़।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(विवेक शर्मा)  
कलेक्टर,

जिला टीकमगढ़



50

कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, टीकमगढ़ (म.प्र.)

E-mail-ID- eewrdtkg@ gmail.com, Phone No. 07683-245304

पत्र क्रमांक 952 /कार्य/2025 टीकमगढ़ दिनांक 11/07/2025  
प्रति,

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
जनपद पंचायत टीकमगढ़ (म.प्र.)
2. मुख्य नगरपालिका अधिकारी  
नगर पालिका परिषद टीकमगढ़ (म.प्र.)

विषय :- जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ के अंतर्गत तालावों/नहरों की भूमि से अतिक्रमण हटवाने एवं पानी की निकासी की व्यवस्था कराने के संबंध में

संदर्भ :- कलेक्टर महोदय जिला टीकमगढ़ का पत्र क्रमांक/54/RM/2025/टीकमगढ़ दिनांक 30.06.2025

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र में उल्लेखित निर्देशों के परिपालन में अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग क्रं.1 टीकमगढ़ द्वारा प्रेषित निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न कर अनुरोध है कि प्रतिवेदन में उल्लेखित बिन्दुओं पर वांछित सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें ताकि पानी की निकासी में किसी भी प्रकार का अवरोध/क्षति न हो एवं आमजन की सुरक्षा बनी रहे।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

(अनुविभागीय अधिकारी का निरीक्षण प्रतिवेदन)

  
(डी.एस.कुशवाह)  
कार्यपालन यंत्री  
जल संसाधन संभाग  
टीकमगढ़ (म.प्र.)

पृ0 क्रमांक 953 /कार्य/2025 टीकमगढ़ दिनांक 11/07/2025  
प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर महोदय जिला टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ।
2. अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग क्रं.1 टीकमगढ़ की ओर प्रेषित कर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत टीकमगढ़ एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद टीकमगढ़ से समन्वय स्थापित कर तकनीकी दृष्टि पानी की निकासी हेतु उपयुक्त व्यवस्था करें ताकि आमजन की सुरक्षा बनी रहें।


  
(डी.एस.कुशवाह)  
कार्यपालन यंत्री  
जल संसाधन संभाग  
टीकमगढ़ (म.प्र.)

### निरीक्षण प्रतिवेदन

जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ के अंतर्गत तालाबों नहरों की भूमि से अतिक्रमण हटवाने एवं पानी की निकासी की व्यवस्था कराने के संबंध में आपके पत्र क्रं. 342/कार्य./2025 टीकमगढ़ दिनांक 8.7.2025 के परिपालन में अधोहस्ताक्षरकर्ता, संबंधित उपयंत्री, अमीन, चौकीदार द्वारा महेन्द्र सागर तालाब, बण्डा नाले एवं अन्य तालाबों का निरीक्षण किया गया। प्रतिवेदन निम्नानुसार है -

- (1) बण्डा नहर में R.D 60 से 180 मी. 270 से 390 मी. एवं 630 से 690 मी. पर बेड की सफाई की आवश्यकता है जिससे पानी का सुचारु रूप से संचालन हो सके।
- (2) वर्तमान में टीकमगढ़ जिले में औसतन 500 मि.मी. बारिश हो चुकी है जिससे नगर के अंतर्गत आने वाले हनुमान सागर एवं बृदावन तालाब के बेस्ट बियर से पानी की निकासी शुरू हो चुकी है।
- (3) बण्डा नाले की आर.डी 1200 मी. पर पूर्व से निर्मित स्लूस का सुधार कार्य कराया जाना आवश्यक है।
- (4) वर्तमान में महेन्द्र सागर तालाब कुल 12 फीट में से 7.5 फीट तक भर चुका है। आमजन एवं तालाब की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये तालाब के 1.5 फीट खाली रहने पर पानी की निकासी का कार्य किया जाना आवश्यक है।
- (5) अत्यधिक वर्षा की स्थिति में 8.5 कि.मी लंबाई की आवक चैनल में नाले के समीप पानी की निकासी किया जाना प्रस्तावित है। जिससे तालाब पर अधिक पानी की आवक न हों।
- (6) निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि बुनकरियाना नाले की सफाई का कार्य कराना आवश्यक है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि नगर पालिका अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं जनपद पंचायत को जल निकासी व्यवस्था में सहयोग प्रदान करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

  
 अनुविभागीय अधिकारी  
 जल संसाधन उपसंभाग क्रं.1  
 टीकमगढ़ (म.प्र.)

कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, टीकमगढ़ (म.प्र.)

E-mail-ID- eewrdtkg@ gmail.com, Phone No. 07683-245304

पत्र क्रमांक

1106 / कार्य / 2025

टीकमगढ़ दिनांक

08/02/25

प्रति,

मुख्य नगरपालिका अधिकारी  
नगर परिषद परिषद टीकमगढ़

विषय :-

टीकमगढ़ का निस्तारी दूषित जल को तालाबों में न छोड़े जाने बावत्।

00

मध्यप्रदेश शासन द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत तालाब/बावरी/कुओं को स्वच्छ रखे जाने का प्रावधान है।

उक्त जल स्रोतों को स्वच्छ रखे जाने के उद्देश्य से अनुरोध है कि शहर का दूषित पानी हेतु जल स्रोतों से पृथक अन्य व्यवस्था बनाने का कष्ट करें, ताकि तालाबों का पानी स्वच्छ रहे एवं आमजन द्वारा निस्तार हेतु उपयोग में किया जा सके तथा पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

कृपया उक्त कार्य को प्राथमिकता प्रदान करने का कष्ट करें।

(डी.एस.कुशवाह)

कार्यपालन यंत्री

जल संसाधन संभाग

टीकमगढ़ (म.प्र.)

क्रमांक

1107 / कार्य / 2025

टीकमगढ़ दिनांक

08/02/25

तिलिपि :- कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के अनुरोध सहित सादर सम्प्रेषित।

(डी.एस.कुशवाह)

कार्यपालन यंत्री

जल संसाधन संभाग

टीकमगढ़ (म.प्र.)

## कार्यालय कलेक्टर जिला टीकमगढ़ (म0प्र)

कमांक 119/R7C/2025

टीकमगढ़, दिनांक 19/08/2025

## आदेश

Honable The National Greet Tribunal Central Zone Bench, Bhopal के Original Application no 54/2025 (CZ) आवेदक श्री सोब्रन यादव बनाम म0प्र0 शासन द्वारा दिनांक 11.8.2025 को जिला टीकमगढ़ अंतर्गत विभिन्न जल निकायों पर अतिक्रमण, संरक्षण एवं अनुपचारित जल/सीवेज जल सीधे जल निकायों में न छोड़े जाने संबंधी विभिन्न निर्देश जारी किये गये हैं।

उपरोक्त निर्देशों के पालन में निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है:-

1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) टीकमगढ़
2. आर्द्रभूमि प्राधिकरण द्वारा नामांकित प्रतिनिधि
3. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग, टीकमगढ़
4. क्षेत्रीय अधिकारी म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सागर

उपरोक्त समिति दो सप्ताह के अंदर संलग्न Original Application no 54/2025 (CZ) आदेश में उल्लेखित बिन्दुओं पर अपनी रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

कलेक्टर, 19/8/25  
जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

टीकमगढ़, दिनांक - 19/08/2025

पृ0क्र0 119/R7C/2025  
प्रतिलिपि:-

1. रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, मध्य क्षेत्रीय न्यायपीठ, तृतीय तल राज्य सूचना आयोग भवन अरेरा हिल्स भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
2. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) टीकमगढ़ की ओर पालनार्थ।
3. सदस्य/सचिव आर्द्रभूमि प्राधिकरण भोपाल की ओर प्रतिनिधि नामांकित करने हेतु।
4. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग टीकमगढ़ की ओर पालनार्थ।
5. श्री सतीश चौकसे, क्षेत्रीय अधिकारी म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सागर की ओर पालनार्थ।

कलेक्टर, 19/8/25  
जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, टीकमगढ़ (म.प्र.)

E-mail-ID- eewrdtkg@gmail.com, Phone No. 07683-245304

पत्र क्रमांक 1242 / न्या.प्र./2025

टीकमगढ़ दिनांक 4-9-25

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)  
टीकमगढ़  
जिला-टीकमगढ़ (म.प्र.)

विषय :- तालाबों का सीमांकन कराने बावत्।

-----00-----

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण, मध्य क्षेत्रीय न्यायालय भोपाल का प्रकरण क्र. 54/2025 (CZ) श्री सोबरन यादव विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य में कार्यवाही हेतु जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ के कार्यक्षेत्र से संबंधित महेन्द्र सागर तालाब, हनुमान सागर तालाब एवं मामौन तालाबों का सीमांकन कराने का कष्ट करें।

(डी.एस.कुशवाह)

कार्यपालन यंत्री

जल संसाधन संभाग  
टीकमगढ़ (म.प्र.)

टीकमगढ़ दिनांक 4-9-25

पृ. क्रमांक 1243 / न्या.प्र./2025

प्रतिलिपि-

अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग क्र. 1 टीकमगढ़ की ओर लेख है कि प्रकरण में सीमांकन कार्य हेतु संबंधित कार्यालय से संपर्क कर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

(डी.एस.कुशवाह)

कार्यपालन यंत्री

जल संसाधन संभाग  
टीकमगढ़ (म.प्र.)

कार्यालय कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ (म.प्र.)

E-mail-ID-eewrdtkg@ gmail.com, Phone No. 07683-245304

पत्र क्रमांक 1206 / न्या.प्र./2025

टीकमगढ़ दिनांक 16.09.25

प्रति,

मुख्य नगरपालिका अधिकारी  
नगरपालिका टीकमगढ़

विषय - माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल का प्रकरण क्र. ओ.ए. 54/2025 श्री सोवरन यादव म.प्र. शासन एवं अन्य के संबंध

----- 000 -----

उपरोक्त विषयांगत लेख है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल का प्रकरण क्र. ओ.ए. 54/2025 श्री सोवरन यादव म.प्र. शासन एवं अन्य के पालन हेतु टीकमगढ़ शहर के गंदे पानी को तालाबों में जाने से रोकने हेतु उपाय किये जाना है। अतः लेख है, कि नगर पालिका टीकमगढ़ से संबंधित क्षेत्र में शहर के गंदे पानी को जाने से रोकने हेतु प्रस्ताव/कार्य योजना तैयार कर तीन दिवस अवगत कराने का कष्ट करें।

ch  
(डी.एस.कुशवाह)  
कार्यपालन यंत्री

जल संसाधन संभाग  
टीकमगढ़ (म.प्र.)

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL****CENTRAL ZONAL BENCH BHOPAL****Original Application No. 54/2025****IN THE MATTER OF:****SOBRAN YADAV**----- **APPLICANT****VERSUS****STATE OF MADHYA PRADESH & ORS. -----RESPONDENT(S)**

I, the Petitioner/ Appellant/ Applicant/ Claimant/ Respondent/ Non-Applicant/ Defendant named below do hereby appoint, engage and authorise advocate(s) named below to appear, act and plead in aforesaid case proceedings which shall include applications for restoration, setting aside of ex-parte orders, corrections, modifications, review and recall of orders passed in these proceedings, in this Court or in any other court in which the same may be tried/heard/proceeded with and also in the appellate, revisional or executing court in respect of proceedings arising from this case/proceedings as per agreed terms and conditions and authorise them to sign and file pleadings, appeal, cross objection for the prosecution/defence of the said case in all its stages and also agree to ratify and confirm acts done by them as if done by us

In witness whereof we do hereunto set our hand to these presents, the contents of which have been duly understood by us, this day of \_\_\_\_\_

**Particulars (in block letters) of each Party Executing Vakalatnama**

Name & Father's/ Husband Name	Registered Address	E-Mail address (if any)	Telephone No. (if any)	Status in the case	Full Signature/ Thumb Print
Deependra Singh Kushwah S/o Shri Gajendra Singh	Posted as Executive Engineer, Water Resource Department Tikamgarh, office at Irrigation Colony, Banpur Road, Tikamgarh (M.P.)		9074698765	RESPONDENT	

Accepted:

**Particulars (in block letters) of each Advocate Accepting Vakalatnama**

Name and Enrollment No. in State Bar Council	Address for Service	E-Mail Address (if any)	Telephone Number	Full Signatures
PRASHANT M. HARNE MP/610A/1995	240, UCI LAWYERS CHAMBERS, ARERA HILLS, BHOPAL		9425041311	
MEHUL BHARADWAJ				